उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–2
संख्या : 201(A) / XXIV–2 / 2013–32(01) / 2013
देहरादून, दिनाँक : 21 मई, 2013

अधिसूचना संख्या–201 / XXIV–2 / 2013–32(01) / 2013 दिनांक 21 मई, 2013 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 500 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग–2 को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. निजि सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी।
3. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, पौड़ी एवं नैनीताल, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
13. निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
14. निदेशक आकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
17. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
18. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

संलग्नक–यथोक्त।

आज्ञा से

(उषा शुक्ला)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–2
संख्या : 201/XXIV–2/2013–32(01)/2013
देहरादून, दिनाँक : 21 मई, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, ''**भारत का संविधान**'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की भावना तथा राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता की स्थापना सहित छात्रहित को सर्वोपरि रखते हुए शिक्षकों के लिए एक उचित, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी पदस्थापना एवं स्थानान्तरण प्रक्रिया निर्धारित करते हुए शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. यह नियमावली इससे पूर्व बनायी गयी किसी अन्य सेवा नियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में –

(क) **'संविधान'** से **'भारत का संविधान'** अभिप्रेत है;

(ख) **'महानिदेशक'** से 'महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड' अभिप्रेत है,

(ग) **'निदेशक'** से 'निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) एवं निदेशक (अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण) उत्तराखण्ड' अभिप्रेत है;

(घ) **'शैक्षिक सत्र'** से 'किसी वर्ष की पहली अप्रैल से अगले वर्ष की इकतीस

मार्च तक की अवधि' अभिप्रेत है;

(ङ) **'सरकार'** से 'उत्तराखण्ड राज्य की सरकार' अभिप्रेत है;

(च) **'राज्यपाल'** से 'उत्तराखण्ड के राज्यपाल' अभिप्रेत है;

(छ) **'सेवा'** से 'उत्तराखण्ड की विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय शिक्षक के पद पर सेवा' अभिप्रेत है,

(ज) **'शिक्षक'** से 'उत्तराखण्ड की विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय आदर्श विद्यालय में सहायक अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक के रूप में सेवारत, शिक्षक तथा शिक्षिका, उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) संवर्ग में सहायक अध्यापक (एल0टी0) के रूप में सेवारत शिक्षक तथा शिक्षिका तथा उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) में प्रवक्ता के रूप में सेवारत शिक्षक तथा शिक्षिका अभिप्रेत है।

पदस्थापना हेतु विद्यालयों का चिन्हीकरण

4. शिक्षकों की पदस्थापना हेतु विद्यालयों को निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा :–

(1) विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं (सड़क, विद्युत, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, दूरसंचार, ऊंचाई, आवास, यातायात के साधन, बाजार आदि) के आधार पर विद्यालयों को प्राप्त गुणांकों के अनुसार सर्वोच्च गुणांक से प्रारम्भ करते हुए क्रमशः छः श्रेणियों (A. B, C, D, E, F) में विभक्त किया जायेगा। A, B, C श्रेणी के विद्यालयों को X क्षेत्र तथा D, E, F श्रेणी के विद्यालयों को Y क्षेत्र के विद्यालयों के नाम से जाना जायेगा। ग्रेडिंग के मानकों का निर्धारण समय–समय पर शासन द्वारा किया जायेगा।

(2) कार्यस्थल को प्राप्त कुल गुणांक के आधार पर कोटिकरण निम्नवत् किया जायेगा : —

(क) **राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का कोटिकरण :–**

समस्त राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का कोटिकरण मानक के अनुसार विद्यालयों को प्राप्त उच्चतम गुणांक से न्यूनतम गुणांक के आधार पर जनपदीय समिति द्वारा जनपद की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए समस्त राजकीय प्राथमिक व उच्च

प्राथमिक विद्यालयों को पृथक–पृथक रूप से छः श्रेणियों में इस प्रकार से विभाजित किया जायेगा कि यथा सम्भव X क्षेत्र में 40 प्रतिशत व Y क्षेत्र में 60 प्रतिशत अथवा शासन द्वारा समय–समय पर X क्षेत्र व Y क्षेत्र में निर्धारित अनुपात के अनुसार विद्यालय आ सके ।

(ख) **राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का कोटिकरण :** –

मण्डल के अन्तर्गत स्थित समस्त जनपदों द्वारा राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कॉलेजों के निर्धारित गुणांकों की सूची, मण्डलीय कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी। मण्डलीय समिति द्वारा समस्त जनपदों से प्राप्त सूची को एक साथ संकलित कर गुणांको के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध कर मण्डल की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मण्डल के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को इस प्रकार से छः श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा कि यथा सम्भव X क्षेत्र में 40 प्रतिशत व Y क्षेत्र में 60 प्रतिशत अथवा शासन द्वारा समय–समय पर X क्षेत्र व Y क्षेत्र में निर्धारित अनुपात के अनुसार विद्यालय आ सके।

विद्यालयों के वर्गीकरण हेतु समिति

5. (1) राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का श्रेणी निर्धारण, जनपद स्तर पर निम्नांकित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) जिलाधिकारी (अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी) – अध्यक्ष;

(ख) मुख्य शिक्षा अधिकारी – उपाध्यक्ष;

(ग) जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा –सदस्य सचिव;

(घ) जिला पंचायत राज अधिकारी – सदस्य;

(ङ) सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी – सदस्य;

(च) समस्त विकास खण्डों के उप शिक्षा अधिकारी – सदस्य।

(2) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का श्रेणी निर्धारण, मण्डल स्तर पर निम्नांकित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

(क) मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक) – अध्यक्ष;

(ख) मण्डल मुख्यालय का मुख्य शिक्षा अधिकारी –सदस्य सचिव;

(ग) मण्डल के अन्तर्गत समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) – सदस्य।

विद्यालयों को नवीन प्राप्त सुविधा के अनुसार प्रतिवर्ष श्रेणी/ग्रेडिंग में परिवर्तन यदि कोई हो, करके उस विद्यालय की श्रेणी पुनः निर्धारित करते हुए नवीनीकृत की जायेगी। सूची का प्रदर्शन विभाग की वेबसाइट एवं अन्य माध्यमों से भी प्रदर्शित की जायेगी।

विद्यालयों के वर्गीकरण हेतु समय–सारिणी

6. विद्यालयों के वर्गीकरण हेतु समय सारणी का निर्धारण निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) एवं निदेशक (अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण) उत्तराखण्ड द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

किसी क्षेत्र विशेष में सेवा की गणना

7. किसी क्षेत्र विशेष की किसी श्रेणी विशेष में की गयी सेवा की गणना के लिए उस क्षेत्र में अथवा श्रेणी में एक अथवा एक से अधिक बार तथा एक अथवा अधिक पदों पर की गयी समस्त सेवा को जोड़ कर गणना जैसा **परिशिष्ट 'क'** में प्रदर्शित है, के अनुसार की जायेगी :

परन्तु यह कि माइग्रेशन विद्यालय के सन्दर्भ में उस विद्यालय संचालन के अन्तर्गत भिन्न–भिन्न स्थानों में की गयी सम्पूर्ण सेवा की गणना इस प्रकार की जायेगी कि वह सम्पूर्ण सेवा अवधि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में स्थित मूल विद्यालय में की गयी सेवा है। ''माइग्रेशन विद्यालय'' से ऐसा विद्यालय अभिप्रेत है, जो गर्मी एवं सर्दी में भिन्न–भिन्न स्थानों में संचालित होते हैं :

परन्तु यह और कि **Y क्षेत्र** की किसी श्रेणी में सेवा की गणना के लिए शिक्षक द्वारा उस श्रेणी की सेवा की अवधि में लिये गये अवैतनिक अवकाश के दिनों को कुल सेवा अवधि से घटाया जायेगा।

प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना

8. शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना केवल **Y क्षेत्र** के D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में ही की जायेगी :

परन्तु यह कि विकलांग शिक्षकों की **Y क्षेत्र** के D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में पदस्थापना की बाध्यता नहीं होगी :

परन्तु यह और कि महिला शाखा (माध्यमिक शिक्षा) के संदर्भ में D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में जिस विषय विशेष में अध्यापन न होता हो, उस विषय विशेष में X क्षेत्र के A, B, C श्रेणी में भी पदस्थापना की जा सकेगी। यह भी कि महिला शाखा के सन्दर्भ में ही X क्षेत्र के किसी विद्यालय में किसी विषय विशेष में रिक्त पद पर स्थानान्तरण के लिए इच्छुक अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उस विषय विशेष में X क्षेत्र के विद्यालयों में भी नियुक्ति पर पदस्थापना की जा सकेगी, परन्तु ऐसी स्थिति में प्रथमतः विकलांग अभ्यर्थी को और तत्पश्चात मेरिट क्रम में उच्च वरीयता प्राप्त महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।

पदोन्नति पर पदस्थापना

9. (1) शिक्षकों की पदोन्नति पर पदस्थापना केवल **Y क्षेत्र** के D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में ही की जायेगी :

परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा वर्तमान अथवा पूर्व में **Y** क्षेत्र के विद्यालयों में की गई सेवा का कुल सेवा गुणांक **परिशिष्ट 'क'** के क्रमांक–1 के अनुसार 15 अथवा जैसा कि समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित किया जाए प्राप्त कर लिए हों, को **Y** क्षेत्र के विद्यालयों में पदोन्नत करने की बाध्यता नहीं होगी, बशर्ते कि **X** क्षेत्र के विद्यालयों में पद रिक्त हो :

परन्तु यह कि किसी स्थान विशेष के लिए एक से अधिक आवेदक होने की दशा में Y श्रेणी में अधिक सेवा गुणांक प्राप्त करने वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी परन्तु समान गुणांक होने की दशा में अधिक आयु प्राप्त शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी।

परन्तु यह और कि विकलांग शिक्षकों, गम्भीर रोग ग्रस्त शिक्षकों, विधवा/परित्यक्ता शिक्षिका, शिक्षक के मानसिक रूप से विक्षिप्त पति/पत्नी अथवा विक्षिप्त बच्चों के माता/पिता शिक्षक एवं अन्य शिक्षक जिनकी आयु 55 वर्ष हो चुकी हो, को Y क्षेत्र के विद्यालयों में तैनाती की बाध्यता नहीं होगी, बशर्ते कि **X** क्षेत्र के विद्यालयों में पद रिक्त हो। लेकिन यदि उपरोक्त स्वेच्छा से Y क्षेत्र के विद्यालयों में जाने का विकल्प देते हैं तो पद रिक्ति की दशा में Y क्षेत्र आवंटित किया जा

सकेगा। विकलांग तथा गम्भीर रोग की परिभाषा जैसा नियम–22 में वर्णित किया गया है, के अनुसार होगी।

(2) पदोन्नति स्वीकार न करने पर सम्बन्धित शिक्षक की पदोन्नति पर अगले तीन वर्ष तक विचार नहीं किया जायेगा। उस स्थिति में उसके द्वारा धारित पद पर यथा स्थिति चयन वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान की अर्हता नहीं रहेगी परन्तु स्थानान्तरण के सामान्य नियम लागू रहेंगे।

स्थानान्तरण पर पदस्थापना

10. शिक्षकों के स्थानान्तरण निम्नांकित श्रेणियों एवं क्रम में किये जायेंगे :–

(1) अनिवार्य स्थानान्तरण

(2) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

(3) पारस्परिक स्थानान्तरण

(4) प्रशासनिक स्थानान्तरण

(1) अनिवार्य स्थानान्तरण

(अ) X क्षेत्र से Y क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण :–

(क) ऐसे शिक्षक, जो वर्तमान में X क्षेत्र के विद्यालय में सेवारत हैं तथा सम्पूर्ण सेवाकाल में A, B, C श्रेणी के विद्यालयों में **परिशिष्ट 'क'** के क्रमांक–2 के अनुसार X क्षेत्र से अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक 12 अथवा इतने न्यूनतम पात्रता सेवागुणांक प्राप्त कर चुके हो जैसा कि तत्समय रिक्तियों के सापेक्ष अथवा व्यवस्था बनाये रखने हेतु समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित किया जाए, अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र होंगे;

(ख) निम्नांकित शिक्षकों को अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट अनुमन्य होंगी–

(एक) जो शिक्षिका 52 वर्ष एवं शिक्षक 55 वर्ष की आयु स्थानान्तरण वर्ष के 31 मार्च को पूर्ण कर चुके हों;

(दो) ऐसे शिक्षक, जो X क्षेत्र में सेवारत है तथा सम्पूर्ण सेवा काल में Y क्षेत्र की D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (आ) में वर्णित नियमानुसार न्यूनतम सेवा गुणांक प्राप्त कर चुके हो;

(तीन) नियम 22 में उल्लिखित सीमा के अधीन गम्भीर रूप से

बीमार/विकलांग शिक्षक, विधवा, परित्यक्ता, शिक्षक के मानसिक रूप से विक्षिप्त पति/पत्नी अथवा विक्षिप्त बच्चों के शिक्षक माता/पिता।

(ग) स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा :–

X क्षेत्र से **परिशिष्ट 'क'** के क्रमांक–2 के अनुसार उपरोक्त नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (अ) उपखण्ड (क) में वर्णित नियमानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक प्राप्त करने वाले शिक्षकों की अवरोही क्रम में तैयार पात्रता सूची का 15 प्रतिशत की सीमा तक अथवा जैसा कि समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित किया जाए, अवरोही क्रम में स्थानान्तरण किया जायेगा।

(आ) **Y क्षेत्र से X क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण :–**

(क) वर्तमान में Y क्षेत्र में सेवारत् शिक्षक जो सम्पूर्ण सेवा काल में **परिशिष्ट 'क'** के क्रमांक–2 के अनुसार Y क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक 12 या इतने न्यूनतम पात्रता सेवागुणांक प्राप्त कर चुके हो जैसा कि तत्समय रिक्तियों के सापेक्ष अथवा व्यवस्था बनाये रखने हेतु समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित किया जाए, अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र होंगे। इस प्रकार अवरोही क्रम में तैयार पात्रता सूची के 10 प्रतिशत की सीमा तक अथवा जैसा कि समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित किया जाए, अनिवार्य स्थानान्तरण किया जायेगा :

परन्तु यह कि शिक्षक स्थानान्तरण के इच्छुक न हो तो उनके द्वारा स्थानान्तरण न किये जाने हेतु आवेदन करने पर उन्हें स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

(2) **अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण :–**

(क) X क्षेत्र से Y क्षेत्र के लिए स्थानान्तरण हेतु कोई भी शिक्षक आवेदन करने का पात्र होगा;

(ख) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत् कार्मिक के शिक्षक पति अथवा पत्नी Y क्षेत्र के विद्यालयों में एक ही स्थान पर तैनाती के

इच्छुक हों तो वे केवल Y क्षेत्र में ही एक स्थान पर तैनाती हेतु अनुरोध करने के पात्र होंगे;

(ग) शिक्षक स्वयं अपनी गम्भीर बीमारी/विकलांगता नियम 22 में उल्लिखित शर्तों के अधीन स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे;

(घ) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता–पिता, मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर अपने बच्चे की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था के लिए स्थानान्तरण के अनुरोध हेतु पात्र होंगे;

(ङ) जिन शिक्षकों के पति/पत्नी मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, वे भी मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसे विक्षिप्त पति/पत्नी की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था के लिए स्थानान्तरण के अनुरोध हेतु पात्र होंगे;

(च) जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में तीन वर्ष अथवा उससे कम अवधि अवशेष है, वे शिक्षक स्थानान्तरण के अनुरोध हेतु पात्र होंगे;

(छ) विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता शिक्षिका प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर स्थानान्तरण हेतु अनुरोध करने के पात्र होंगे।

(ज) X क्षेत्र के C श्रेणी के विद्यालय में कार्यरत् ऐसे शिक्षक, जो A श्रेणी व B श्रेणी के विद्यालयों में कभी भी सेवारत् नहीं रहें हैं व जिनकी सेवा C श्रेणी के विद्यालय में 5 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी हो एवं X–क्षेत्र में **परिशिष्ट 'क'** के क्रमांक–2 की गणना के अनुसार Y–क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु निर्धारित न्यूनतम सेवा गुणांक से अधिक न हुई हो वे B श्रेणी के विद्यालय में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध करने के पात्र होंगे । किन्तु यह कि एक स्थान के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में **परिशिष्ट 'क'** के क्रमांक–1 के अनुसार Y क्षेत्र के विद्यालय में सम्बन्धित शिक्षक के द्वारा की गई सेवा के गुणांक के आधार पर अधिकतम गुणांक प्राप्त शिक्षक को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी ।

(झ) Y क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत् शिक्षक D श्रेणी के विद्यालय से E श्रेणी अथवा F श्रेणी विद्यालय में एवं E श्रेणी विद्यालय से

केवल F श्रेणी विद्यालय में एक वर्ष की सेवा के उपरान्त स्थानान्तरण हेतु आवेदन कर सकेंगे।

टिप्पणी :–

(एक) उक्त (क) से (छ) तक के लिए अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु X/Y क्षेत्र में न्यूनतम सेवा की कोई शर्त नहीं होगी।

(दो) किसी स्थान विशेष के लिए एक से अधिक आवेदक होने की दशा में Y श्रेणी में अधिक सेवा गुणांक प्राप्त करने वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी परन्तु समान गुणांक होने की दशा में अधिक आयु प्राप्त शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी।

(3) **पारस्परिक स्थानान्तरण :–**

पारस्परिक स्थानान्तरण केवल एक क्षेत्र विशेष से उसी क्षेत्र विशेष को किये जायेंगे अर्थात् पारस्परिक स्थानान्तरण Y क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न श्रेणी के विद्यालयों में ही अनुमन्य होगी। पारस्परिक स्थानान्तरण ऐसे सम्बन्धित दोनों शिक्षकों के आवेदन पत्र के आधार पर ही किये जायेंगे, परन्तु X क्षेत्रान्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

(4) **प्रशासनिक स्थानान्तरण :–**

प्रशासनिक कारणों पर भी शिक्षकों के स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। जहाँ प्रशासनिक स्थानान्तरण शिकायत के आधार पर किया जाना हो, वहाँ शिकायत की जाँच एवं पुष्टि के उपरान्त ही स्थानान्तरण किया जायेगा। शिकायत की पुष्टि पर किया जाने वाला प्रशासनिक स्थानान्तरण Y क्षेत्रान्तर्गत किया जायेगा। Y क्षेत्र में F, E, अथवा D में उपलब्ध रिक्ति के क्रम में किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि Y क्षेत्रान्तर्गत D श्रेणी से प्रशासनिक स्थानान्तरण किया जाना हो तो F, E श्रेणी में ही किया जायेगा अथवा E श्रेणी से प्रशासनिक स्थानान्तरण किया जाना हो तो F श्रेणी में ही किया जायेगा एवं F श्रेणी से प्रशासनिक स्थानान्तरण F श्रेणी में ही किया जायेगा। रिक्ति उपलब्ध न होने की दशा में क्षेत्रान्तर्गत रिक्ति के

सापेक्ष किया जायेगा।

वार्षिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया

11. स्थानान्तरण के लिए शिक्षक द्वारा आवेदन पत्र पूरित किया जायेगा। आवेदन पत्र का प्ररूप एवं आवेदन करने की प्रक्रिया निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) एवं निदेशक (अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण) कार्यालय आदेश द्वारा नियत करेंगे।

(1) **X श्रेणी से Y श्रेणी में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र शिक्षकों की सूची तैयार करना :–**

सर्वप्रथम अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र शिक्षकों की सूची परिशिष्ठ के क्रमांकः 2 के अनुसार अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी। तत्पश्चात् नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (अ) में वर्णित निर्धारित सीमा तक अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची तैयार की जायेगी। इस प्रकार तैयार सूची का 15 प्रतिशत की सीमा तक अथवा जैसा कि समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित किया जाए के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र शिक्षकों की संख्यात्मक सीमा निर्धारित की जायेगी। तत्पश्चात् नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (अ) में वर्णित निर्धारित सीमा तक अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची से छूट प्राप्त शिक्षकों को हटा दिया जायेगा। इसके उपरान्त अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची के शेष शिक्षकों में से उपरोक्तानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र शिक्षकों की संख्यात्मक सीमा तक अवरोही क्रम में Y- श्रेणी के विद्यालयों में रिक्ति के सापेक्ष स्थानान्तरण किया जायेगा। सूची के अवरोही क्रम में F श्रेणी में उपलब्ध रिक्ति से पदस्थापन प्रारम्भ किया जायेगा। तदुपरान्त E श्रेणी एवं D श्रेणी में उपलब्ध रिक्ति के प्रति पदस्थापन किया जायेगा :

परन्तु यह कि माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में यदि एक ही विषय विशेष के अधिकांश शिक्षक ही 15 प्रतिशत अथवा जैसा कि समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित किया जाए, की पात्रता सूची में आते हैं और उनके लिए Y श्रेणी विद्यालयों में रिक्ति उपलब्ध न हो तो अवरोही क्रम में स्थान आवंटित करते हुए जिन शिक्षकों को स्थान उपलब्ध न हो पाया हो, के स्थान पर सूची में क्रमानुसार आगे बढते हुए

अन्य विषय के शिक्षकों को, जिनके लिए रिक्ति उपलब्ध हैं, को स्थानान्तरित किया जाएगा। इस प्रकार किए जाने वाले स्थानान्तरण निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही रहेंगे :

परन्तु यह और कि माध्यमिक विद्यालय में महिला संवर्ग में कार्यरत् प्रवक्ता व स0अ0 एल0टी0 के X- क्षेत्र से Y- क्षेत्र के विद्यालयों में अनिवार्य स्थानान्तरण की स्थिति में यदि Y- क्षेत्र विशेष में विद्यालय न हों अथवा रिक्तियां उपलब्ध न हों तो अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र शिक्षिकाओं को कार्यरत् X- क्षेत्र की C- श्रेणी में अथवा C- श्रेणी में कार्यरत् होने पर उसी श्रेणी के कम गुणांक वाले विद्यालय में अनिवार्य स्थानान्तरित किया जायेगा।

स्थानान्तरण हेतु पात्र शिक्षकों की सूची तथा रिक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। ऐसी सूची विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) के कार्यालय पर प्रदर्शित की जायेगी।

Y श्रेणी से X श्रेणी में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र शिक्षकों की सूची तैयार करना :–

अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र शिक्षकों की सूची परिशिष्ठ के क्रमांक–2 के अनुसार अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी। उक्तानुसार तैयार सूची से उन शिक्षकों को हटाया जायेगा, जो स्थानान्तरण के इच्छुक न हो। तदुपरान्त तैयार अन्तिम पात्रता सूची तैयार की जायेगी।

इस प्रकार नियम 10 का उपनियम (1) के खण्ड (आ) में वर्णित निर्धारित सीमा तक तैयार पात्रता सूची के अनुसार, अवरोही क्रम में X श्रेणी के विद्यालयों में रिक्ति के सापेक्ष स्थानान्तरण किया जायेगा। सूची के अवरोही क्रम में A श्रेणी में उपलब्ध रिक्ति से पदस्थापन प्रारम्भ किया जायेगा। तदुपरान्त B श्रेणी एवं C श्रेणी में रिक्ति के सापेक्ष पदस्थापन किया जायेगा :

परन्तु यह कि माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में यदि एक ही विषय विशेष के अधिकांश शिक्षक ही निर्धारित प्रतिशत की पात्रता सूची

में आते हैं और उनके लिए X श्रेणी विद्यालयों में रिक्ति उपलब्ध न हो तो अवरोही क्रम में स्थान आवंटित करते हुए जिन शिक्षकों को स्थान उपलब्ध न हो पाया हो के स्थान पर सूची में क्रमानुसार आगे बढते हुए अन्य विषय के शिक्षकों को जिनके लिए रिक्ति उपलब्ध हैं को स्थानान्तरित किया जाएगा। इस प्रकार किए जाने वाले स्थानान्तरण यथा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही किए जायेंगे :

परन्तु यह और कि यदि महिला संवर्ग में कार्यरत् प्रवक्ता एवं स0अ0 एल0टी0 के Y- क्षेत्र से X- क्षेत्र के विद्यालयों में अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में शिक्षिकाओं की संख्या 05 या 05 से न्यून हो तो पात्रता सूची में सम्मिलित सभी शिक्षिकाओं को X- क्षेत्र में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

स्थानान्तरण हेतु पात्र शिक्षकों की सूची तथा रिक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। ऐसी सूची विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) के कार्यालय पर प्रदर्शित की जायेगी।

(3) **अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र माँगा जाना एवं स्थानान्तरण का क्रम** :– अनिवार्य स्थानान्तरण के पश्चात अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र शिक्षकों के स्थानान्तरण पर स्थानान्तरण समिति द्वारा निम्न क्रम में विचार किया जायेगा :–

(क) सर्वप्रथम उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत कार्मिक के शिक्षक पति अथवा पत्नी यदि Y क्षेत्र में एक ही स्थान पर तैनाती हेतु आवेदन करते हैं तो उन्हें रिक्ति की दशा में ऐसा स्थान स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा;

(ख) तत्पश्चात् विकलांग शिक्षकों द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पर उनके द्वारा ऐच्छिक स्थान रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा;

(ग) तत्पश्चात् गम्भीर रूप से बीमार शिक्षकों द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पर उनके द्वारा ऐच्छिक स्थान रिक्ति

उपलब्ध होने की दशा में स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा;

(घ) तत्पश्चात् मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के शिक्षक माता/पिता द्वारा और शिक्षकों के मानसिक रूप से विक्षिप्त पति/पत्नी की चिकित्सा हेतु शिक्षक के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने पर उनके द्वारा ऐच्छिक स्थान रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा;

(ङ) तत्पश्चात् जिस शिक्षक की सेवानिवृत्ति में (स्थानान्तरण वर्ष के 31 मार्च के अनुसार) तीन वर्ष या उससे कम अवधि अवशेष है, ऐसे शिक्षक द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार स्थान, रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा। परन्तु यह कि एक स्थान के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अधिक आयु वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी;

(च) तत्पश्चात् स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षकों में विधवा तलाकशुदा, परित्यक्ता शिक्षिका को दिये गये विकल्प के अनुसार स्थान, रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा। विधवा शिक्षिका की स्थिति में एक स्थान के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में कम आयु की विधवा शिक्षिका को प्राथमिकता दी जायेगी;

(छ) तत्पश्चात् स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षकों में X क्षेत्र के C श्रेणी के विद्यालय में कार्यरत् ऐसे शिक्षक, जो A श्रेणी व B श्रेणी के विद्यालयों में कभी भी सेवारत् नहीं रहें हैं व जिनकी C श्रेणी के विद्यालय में सेवा 5 वर्ष हो चुकी हो एवं X–क्षेत्र में **परिशिष्ट 'क'** के क्रमांक–2 के अनुसार Y–क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निर्धारित न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक प्राप्त न कर ली गई हो, के द्वारा B श्रेणी के विद्यालय में स्थानान्तरण हेतु शिक्षक द्वारा दिए गए अनुरोध के अनुसार स्थान, रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा, किन्तु यह कि एक स्थान के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में **परिशिष्ट 'क'** के क्रमांक–1 के अनुसार Y क्षेत्र के विद्यालय में की

गई अधिकतम सेवा गुणांक प्राप्त शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी;

(ज) तत्पश्चात् Y क्षेत्र के विद्यालय में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा (स्थानान्तरण वर्ष के 31 मार्च के अनुसार) पूर्ण कर चुके कार्यरत् शिक्षक, के द्वारा अनुरोध करने पर स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जायेगा :– D श्रेणी के विद्यालय से E श्रेणी अथवा F श्रेणी विद्यालय में, E श्रेणी विद्यालय से केवल F श्रेणी विद्यालय में व F श्रेणी के विद्यालय से केवल F श्रेणी के विद्यालय में उनके द्वारा ऐच्छिक स्थान रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में आवंटन किया जायेगा, किन्तु यह कि एक स्थान के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में Y क्षेत्र के विद्यालयों में की गई सेवा का गुणांक (**परिशिष्ट 'क'** के क्रमांक–1 के अनुसार) के आधार पर अधिक गुणांक वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी ।

(4) **पारस्परिक स्थानान्तरण :–**

पारस्परिक स्थानान्तरण इच्छुक शिक्षकों के आवेदन पत्र के आधार पर किये जायेंगे। पारस्परिक स्थानान्तरण केवल एक क्षेत्र विशेष से उसी क्षेत्र विशेष में किये जायेंगे अर्थात पारस्परिक स्थानान्तरण **Y** क्षेत्र से **Y** क्षेत्र में नियम 10 के उपनियम (3) के अनुसार किया जायेगा। **X** क्षेत्रान्तर्गत एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

किसी एक क्षेत्र में ठहराव की अवधि

12. (1) **X क्षेत्र में ठहराव :–**

अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता हेतु **X** क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत् ऐसे शिक्षक जिनका **परिशिष्ट 'क'** के क्रमांक–2 के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक जैसा कि नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (अ) के उपखण्ड (क) में वर्णित है, होगी :

परन्तु यह कि शिक्षा विभाग में की गयी एक सेवा से दूसरी सेवा में पदस्थापित होने एवं दोनों सेवाओं के मर्षित हो जाने की दशा में पूर्व पद पर विभिन्न श्रेणियों में की गयी सेवा सम्पूर्ण सेवा में जोड़ी जाएगी।

(2) Y क्षेत्र में ठहराव :–

अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता हेतु Y क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत् ऐसे शिक्षक, जिनका **परिशिष्ट 'क'** के क्रमांक–2 के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक जैसा कि नियम 10 के नियम (1) के खण्ड (आ) में वर्णित है, होगी :

परन्तु यह कि शिक्षा विभाग में की गयी एक सेवा से दूसरी सेवा में पदस्थापित होने एवं दोनों सेवाओं के मर्षित हो जाने की दशा में पूर्व पद पर विभिन्न श्रेणियों में की गयी सेवा का लाभ अनुमन्य होगा।

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों का निर्धारण एवं समायोजन

13. (1) राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पदों का निर्धारण, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में दिए गए छात्र–अध्यापक के मानक के अनुसार किया जायेगा। निर्धारित पदों की संख्या से अधिक कोई भी शिक्षक किसी भी राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत् नहीं होगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर मानक से अधिक कार्यरत् शिक्षकों का समायोजन अधिक आवश्यकता वाले विद्यालय में किया जायेगा।

(2) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पदों का निर्धारण तद्समय प्रख्यापित विभिन्न नियमों अथवा पदों की स्वीकृतियों के अनुसार किया जायेगा। निर्धारित तथा स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक शिक्षक अथवा असंगत विषयाध्यापक किसी माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत् नहीं रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर असंगत व अधिसंख्य कार्यरत् शिक्षकों का समायोजन अधिक आवश्यकता वाले विद्यालय में किया जायेगा।

शिक्षकों के सम्बद्धीकरण का निषेध

14. (1) कोई भी अध्यापक अपने मूल तैनाती के विद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी भी विद्यालय अथवा कार्यालय में व्यवस्था/सम्बद्ध नहीं किया जायेगा। इस नियमावली के प्रख्यापन की तिथि से पूर्व के सभी व्यवस्थाएं/सम्बद्धतायें नियमावली प्रख्यापन की तारीख से स्वतः ही समाप्त समझी जायेंगी :

परन्तु यह कि यदि किसी एकल अध्यापकीय विद्यालय में कार्यरत् किसी अध्यापक की आकस्मिक मृत्यु के कारण, दीर्घावकाश पर जाने के

कारण, पदोन्नति होने के कारण अथवा महिला शिक्षिका के बाल्य देखभाल अवकाश/प्रसूति अवकाश पर जाने के कारण व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पड़ती है तो सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी से उक्त व्यवस्था का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(2) व्यवस्था केवल निकटस्थ विद्यालयों में उपलब्ध अध्यापकों से ही की जा सकेगी। किसी भी दशा में Y क्षेत्र से X क्षेत्र में व्यवस्था नहीं की जा सकेगी :

परन्तु यह कि किसी विद्यालय में विद्यालय संचालन हेतु की गयी व्यवस्था इस सन्दर्भ में सम्बद्धीकरण नहीं मानी जायेगी।

स्थानान्तरण स्वीकृत एवं रिक्त पद के सापेक्ष किया जाना

15. (1) स्थानान्तरण स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पद के प्रति ही किया जायेगा। रिक्ति की प्रत्याशा में किसी भी दशा में स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

(2) विषय विशेष के अध्यापक को विषय विशेष के रिक्त पद पर ही स्थानान्तरित किया जायेगा।

सेवा संवर्ग में स्थानान्तरण

16. (1) एल.टी. शिक्षकों को स्वेच्छा से मण्डलीय संवर्ग के बाहर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में एक बार मण्डल परिवर्तन की छूट दी जायेगी, जो संबंधित विषय के सृजित पदों के सापेक्ष उपलब्ध रिक्ति की सीमा तक ही अनुमन्य होगी। सहायक अध्यापक/अध्यापिकायें, प्राथमिक को भी इस नियमावली में परिभाषित गम्भीर बीमारी अथवा ऐसी महिला शिक्षिकायें जो विवाह के पश्चात अपने पति के गृह जनपद में अथवा पति के शासकीय सेवा में होने पर पति के तैनाती जनपद में जाना चाहती हैं, इस प्रतिबंध के साथ की संबंधित शिक्षिका ने वर्तमान कार्य स्थल के जनपद में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, उन्हें पद उपलब्धता पर अपने संवर्ग परिवर्तन में संपूर्ण सेवा काल में एक बार छूट दी जायेगी :

परन्तु यह कि सवर्ग परिर्वतन की स्थिति में संबंधित शिक्षक/शिक्षिका कनिष्ठ हो जाएगा।

(2) ऐसे आवेदन अपने संवर्ग में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा के पूर्ण करने वाले शिक्षकों द्वारा दिये जा सकेंगे, परन्तु सेवा संवर्ग परिवर्तन की छूट

पदोन्नति के पदों यथा प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय तथा प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय के पदधारकों को अनुमन्य नहीं होगी।

(3) संवर्ग से बाहर स्थानान्तरण किये जाने पर ऐसे शिक्षकों की ज्येष्ठता नवीन संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को कार्यरत कनिष्ठतम शिक्षक की ज्येष्ठता के बाद निर्धारित की जायेगी।

(4) अपने संवर्ग से बाहर स्थानान्तरण किये जाने पर पदस्थापना केवल Y-क्षेत्र के विद्यालयों में ही की जायेगी।

(5) जहाँ भर्ती के लिए सामान्य शाखा एवं महिला शाखा दोनों शाखाएं विद्यमान हों, वहाँ शाखा परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(6) उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित होने वाले शिक्षकों को Y–क्षेत्र के विद्यालय में ही पदस्थापित किया जायेगा।

एन0सी0सी0 शिक्षक का स्थानान्तरण

17. एन0सी0सी0 शिक्षक को, ऐसे ही विद्यालय में स्थानान्तरित किया जायेगा, जहाँ एन0सी0सी0 का प्रशिक्षण होता हो।

प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों का स्थानान्तरण

18. प्रशिक्षण संस्थानों–जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला संसाधन केन्द्र के शिक्षकों का स्थानान्तरण सम्बन्धित के संवर्ग के अनुसार किये जायेगे।

कतिपय क्षेत्रों से बिना अनुरोध के स्थानान्तरण न किया जाना

19. Y क्षेत्र के विद्यालयों से स्थानान्तरण न चाहने वाले अध्यापकों को बिना उनके अनुरोध के अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा तथापि प्रशासनिक आधार पर ऐसा स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

शिक्षक पति और पत्नी का यथासंभव एक क्षेत्र/स्थान पर स्थानान्तरण

20. पति और पत्नी दोनों ही उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में हों, और Y क्षेत्र के विद्यालयों हेतु नियमावली में उल्लिखित सेवा गुणांक पूर्ण करते हों तो उन्हें यथासम्भव एक ही स्थान पर रखा जायेगा।

स्थानान्तरण केवल अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाना

21. स्थानान्तरण आदेश नियम 25 में उल्लिखित अधिकृत अधिकारी द्वारा ही किये जा सकेंगे।

गम्भीर रोग तथा विकलांगता की परिभाषा

22. (1) गम्भीर रोग के अन्तर्गत कैंसर, ब्लड कैंसर, एड्स/एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय की बाइपास सर्जरी, ह्रदय वॉल्व सर्जरी, दोनों किडनी फेल हो जाने से डायलेसिस पर निर्भर, ट्यूबरकुलोसिस (दोनों फेफड़े खराब हो जायें) सॉर्स (थर्ड स्टेज), एक्यूट आर्थराइटिस, ब्रेनट्यूमर के गम्भीर रोग के अन्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (A.I.I.M.S.), पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (P.G.I.), अन्य अखिल भारतीय मेडिकल संस्थान अथवा राज्य में स्थित समकक्ष चिकित्सा संस्थान में उपचाराधीन हो। शिक्षक को सम्बन्धित संस्थान से उक्त रोग का चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि सम्बन्धित शिक्षक अध्यापन करने में सक्षम हैं। उक्त के अतिरिक्त शिक्षक के उपरोक्त बीमारियों से रोग ग्रस्त होने तथा अन्यत्र चिकित्साधीन होने की दशा में शिक्षक द्वारा फॉरेस्ट ट्रस्ट मेडिकल कालेज हॉस्पिटल हल्द्वानी, राजकीय मेडिकल कालेज श्रीनगर अथवा हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइस जौलीग्रान्ट देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा परिषद् द्वारा प्रदत्त सम्बन्धित रोग का और उसी अधिकारी द्वारा प्रदत्त शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(2) विकलांगता के अन्तर्गत 70 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग शिक्षक, विकलांगता प्रमाण–पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त हो। साथ ही मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(3) गम्भीर रोगों की स्थिति में मध्य सत्र में स्थानान्तरण तभी किया जायेगा, जब उक्त बीमारी के लिए कार्यस्थल पर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध न हो। गम्भीर रोग का आशय वही होगा, जैसा कि इन नियमों में अन्यत्र परिभाषित है।

स्थानान्तरण की पात्रता की सीमा से बाहर वाले शिक्षक

23. शिक्षा मित्र, शिक्षा बन्धु,, तदर्थ शिक्षक, अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त सत्रांन्त लाभ प्राप्त शिक्षक एवं विभिन्न पुरस्कार प्राप्ति के फलस्वरूप सेवाविस्तार प्राप्त शिक्षक किसी भी प्रकार के स्थानान्तरण (अनिवार्य/अनुरोध) हेतु पात्र नहीं माने जायेंगे। ऐसे शिक्षकों का किसी

भी दशा में स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा ।

मान्यता प्राप्त शिक्षक संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण

24. मान्यता प्राप्त शिक्षक संघों के अध्यक्ष/सचिव/महामंत्री, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष/सचिव/महामंत्री भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पद धारित करने की तिथि से दो वर्ष तक न किये जाये, परन्तु लगातार पाँच वर्ष की अधिक अवधि तक एक स्थान पर तैनात रहने पर सामान्य स्थानान्तरण के निर्देशों से व्यवहृत होगें। यदि कोई शिक्षक निरन्तर मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ का अध्यक्ष/सचिव/महामंत्री रहता है, तो उस दशा में स्थानान्तरण न किये जाने के छूट की अवधि अधिकतम पांच वर्ष होगी।

स्थानान्तरण हेतु समिति

25. शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु समितियों का गठन निम्नवत् होगा :–

(1) **प्राथमिक विद्यालयों एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का जनपद के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु समिति :–**

(क) मुख्य शिक्षा अधिकारी	– अध्यक्ष
(ख) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)	– सदस्य सचिव
(ग) वरिष्ठतम विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी	– सदस्य
(घ) जनपद के समस्त उप शिक्षा अधिकारी	– सदस्य
(ङ) मुख्यालय में स्थित रा0बा0इ0का0 की प्रधानाचार्या	– सदस्य
(च) स्थानान्तरण समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई सदस्य न हो तो अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का समूह 'क' अथवा 'ख' श्रेणी का एक सदस्य	– सदस्य

स्थानान्तरण आदेश जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(2) **सहायक अध्यापक प्राथमिक का (मण्डलान्तर्गत) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण :**

सहायक अध्यापक प्राथमिक का (मण्डलान्तर्गत) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) की अध्यक्षता में मण्डल स्तर पर एक समिति गठित कर किया जायेगा।

समिति में मण्डल मुख्यालय के मुख्य शिक्षा अधिकारी, समूह 'क' की एक महिला अधिकारी तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का एक समूह 'क' अथवा 'ख' श्रेणी का अधिकारी यदि अन्य सदस्यों में से कोई उपराक्त श्रेणी का न हो, सदस्य होंगे ।

स्थानान्तरण आदेश मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रा0शि0) द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(3) **सहायक अध्यापक प्राथमिक के (एक मण्डल से दूसरे मण्डल में) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु समिति :–**

(क) अपर निदेशक मुख्यालय (प्रा0शि0) – अध्यक्ष;

(ख) संयुक्त निदेशक (प्रा0शि0) मुख्यालय – सदस्य;

(ग) उप निदेशक (प्रा0शि0) – सदस्य;

(घ) स्थानान्तरण समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई सदस्य न हो तो अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का समूह 'क' अथवा 'ख' श्रेणी का एक सदस्य – सदस्य।

स्थानान्तरण आदेश शासन के अनुमोदनोंपरान्त अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) मुख्यालय द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(4) **एल0टी0 वेतनक्रम के शिक्षकों व प्रवक्ताओं के मण्डलान्तर्गत स्थानान्तरण हेतु समिति :–**

(क) मण्डलीय अपर शिक्षा, निदेशक (मा.शि.) – अध्यक्ष;

(ख) मण्डल मुख्यालय का मुख्य शिक्षा अधिकारी – सदस्य;

(ग) समूह 'क' की एक महिला अधिकारी – सदस्य;

(घ) स्थानान्तरण समिति में अनुसूचित जाति/ जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई सदस्य न हो तो अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का समूह 'क' अथवा 'ख' – सदस्य।

स्थानान्तरण आदेश मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा0) द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(5) एल0टी0 वेतनक्रम के शिक्षकों व प्रवक्ताओं के अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण :–

(क) अपर निदेशक (मा0) मुख्यालय – अध्यक्ष;

(ख) संयुक्त निदेशक (मा.शि.) मुख्यालय –सदस्य सचिव;

(ग) उप निदेशक (सेवा–2) – सदस्य;

(घ) स्थानान्तरण समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई सदस्य न हो तो अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/ जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का समूह 'क' अथवा 'ख' श्रेणी का एक सदस्य – सदस्य।

स्थानान्तरण आदेश अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) मुख्यालय द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

अपीलीय व्यवस्था

26. यदि किसी शिक्षक को उसके स्थानान्तरण के सन्दर्भ में कोई आपत्ति हो कि उसका स्थानान्तरण उक्तवत् निर्धारित नियमों के विपरीत किया गया है तो वह निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत स्थानान्तरण आदेश का पालन करते हुए अपने नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करके, स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तारीख से एक माह के अन्दर, उपर्युक्त नियमों के विपरीत किये गए स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुष्ट साक्ष्य सहित अपना प्रत्यावेदन निम्नवत् सम्बन्धित अधिकारी को अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित करेगा :–

(1) प्राथमिक विद्यालयों एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के जनपदीय स्थानान्तरण की स्थिति में :–

मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रा.शि.)

(2) राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के अन्तर्जनपदीय या एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरण की स्थिति में :–

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा

(3) एल0टी0 वेतनक्रम के शिक्षकों एवं प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण की स्थिति में :–

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रत्यावेदनों का अधिकृत अधिकारी द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निस्तारण किया जायेगा।

स्थानान्तरण हेतु समय सारिणी

27. शिक्षकों के स्थानान्तरण की समय सारणी का निर्धारण शैक्षिक सत्र में समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

कार्यभार ग्रहण करने की सीमा

28. नियमावली के उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित किए जानें वाले अध्यापकों को आदेश निर्गत होने की तारीख के सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त हो कर नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उन्हें एक तरफा कार्यभार मुक्त कर दिया जाएगा तथा पूर्व तैनाती स्थल से वेतन कदापि आहरित नहीं किया जाएगा।

नियमावली क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण

29. (1) इस नियमावली के किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ठ प्रकरण में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें–

(क) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा,

(ख) निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

(ग) निदेशक (माध्यमिक शिक्षा),

(घ) निदेशक (अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण),

(ङ) कार्मिक विभाग का प्रतिनिधि (अपर सचिव से अन्यून) प्रमुख सचिव, कार्मिक द्वारा नामित सदस्य होंगे।

(2) यह समिति इस नियमावली के क्रियान्वयन में आने वाली किसी कठिनाई अथवा ऐसा अप्रत्याशित विषय, जो नियमावली में सम्मिलित नहीं है, के संबंध में भी विचार करके अपनी संस्तुति राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

परिशिष्ट 'क'

{नियम 7, 9 (1), 10, 11 तथा 12 देखें}

सम्पूर्ण सेवाकाल के आधार पर **X** क्षेत्र (**A, B, C** श्रेणी के कार्यस्थल) एवं **Y** क्षेत्र (**D, E, F** श्रेणी के कार्यस्थल) में शिक्षक द्वारा की गयी सेवा का सेवा गुणांक

X क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षक का सेवा गुणांक	**Y** क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षक का सेवा गुणांक
1. **X** क्षेत्र में (A, B, C श्रेणी के विद्यालयों में की गई कार्य अवधि) की गई सेवा की गणना निम्नानुसार की जायेगी :– C श्रेणी में की गयी सम्पूर्ण सेवा (दिवसों में) + B श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 1.5 (डेढ़ गुना) + A श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 2 (दो गुना) = योग ÷ 365 = **X** क्षेत्र के विद्यालय में की गई सेवा का कुल सेवा गुणांक।	1. **Y** क्षेत्र में (D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में की गई कार्य अवधि में लिये गये अवैतनिक अवकाश को घटा कर) की गई सेवा की गणना निम्नानुसार की जायेगी:– D श्रेणी में की गयी सम्पूर्ण सेवा (दिवसों में) + E श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 1.5 (डेढ़ गुना) + F श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 2 (दो गुना) = योग ÷ 365 = **Y** क्षेत्र के विद्यालय में की गई सेवा का कुल सेवा गुणांक।
2. **अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक का निर्धारण** :– अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक = वर्तमान में **X** क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक के **X** क्षेत्र का सेवा गुणांक – **Y** क्षेत्र में की गयी सेवा का सेवा गुणांक।	2. **अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक का निर्धारण** :– अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक = वर्तमान में **Y** क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक के **Y** क्षेत्र का सेवा गुणांक – **X** क्षेत्र में की गयी सेवा का सेवा गुणांक।
3. **X** क्षेत्र से **Y** क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु **न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक** : 12 अथवा नियमावली के नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (अ) के उपखण्ड (क) में दी गई व्यवस्था के अनुसार निर्धारित गुणांक ।	3. **Y** क्षेत्र से **X** क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु **न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक** : 12 अथवा नियमावली के नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (आ) में दी गई व्यवस्था के अनुसार निर्धारित गुणांक ।

(मनीषा पंवार)
सचिव।